न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 366 सन् 2012

पंजीयन दिनांक 22.11.2012

1. उदयपुरी पिता मांगुपुरी जाति गुसाई निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. मंशापुरी पिता मांगुपुरी जाति गुसाई निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरुद्ध

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
2. आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
3. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 237/2011 वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2012

उपस्थित– 1. सुरेश चंद शर्मा–अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.1 से 3

निर्णय **दिनांक 13.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्गण वादीगण ने रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ की नवीन आराजी नम्बर 1668 रकबा 1.04 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे तुलछा माता मन्दिर स्थानदेह किला चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज है। उक्त कृषि आराजीयात सेटलमेन्ट के दौरान गत आराजी नम्बर 801,802,795 से बना है। उक्त कृषि आराजीयात सेटलमेन्ट से पूर्व अपीलान्ट्गण वादीगण के पूर्वज गणेशपुरी पिता नारायणपुरी के खाते मे दर्ज है। नामान्तकरण सं. 721 विरासत से गणेशपुरी के बजाय पुरा खाता मांगुपुरी पिता गणेशपुरी के नाम दर्ज होना प्रमाणित होते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट्गण वादीगण का वादपत्र निरस्त किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने आधार वर्ष की जमाबन्दी प्रस्तुत नही होने व उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार कायम की गई तनकियात अपीलान्ट्गण वादीगण के पक्ष मे प्रमाणित नही होना मानते हुए वादपत्र को निरस्त किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्गण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण वादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट्गण वादीगण ने रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा व इन्जाज दुरस्ती का वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ की नवीन आराजी नम्बर 1668 रकबा 1.04 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे तुलछा माताजी मन्दिर स्थानदेह जिला चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात के सेटलमेन्ट के पूर्व आराजी नम्बर 801,802 व 795 दर्ज रेकार्ड होकर सेटलमेन्ट के पूर्व उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट्गण के पूर्वज गणेशपुरी पिता नारायणपुरी के खाते मे दर्ज रही है। नामान्तकरण सं. 721 विरासत से गणेशपुरी के बजाय मांगुपरी पिता गणेशपुरी के नाम दर्ज होना प्रमाणित है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने इन तथ्यो के आधार पर अपीलान्ट्गण वादीगण का वादपत्र निरस्त किया है कि अपीलान्ट्गण वादीगण ने आधार वर्ष की जमाबन्दी प्रस्तुत नही की है। अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलान्ट्गण वादीगण ने इस न्यायालय मे आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के साथ दिनांक 28.06.2022 को मोजा पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 के खाता सं. 140 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेज को रेकार्ड पर लेते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2012 को निरस्त कर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात वर्तमान जमाबन्दी मे तुलछा माताजी स्थान किला चित्तौड़गढ़ के नाम पर दर्ज होकर तुलछा माताजी नाबालिग मूर्ति है। उक्त कृषि आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 801, 802, 795 दर्ज रेकार्ड रहे है। हाल सेटलमेन्ट के खसरा पत्रक के कॉलम नम्बर 25 के अनुसार सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 09.03.1981 की पालना मे दिनांक 27.03.1981 को मिलान खसरा के कॉलम सं. 23 मे वर्तमान कृषक का नाम तुलछामाताजी स्थान चित्तौड़गढ़ के खातेदारी हक से अंकित किया है तथा अपीलान्ट्गण वादीगण के पिता मांगुपुरी को उप-कृषक अंकित किया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार मन्दिर मूर्ति को शास्वत नाबालिग मानते हुए मन्दिर मूर्ति के पुजारियो एवं उप-कृषको का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया गया है। गत सेटलमेन्ट के नक्शे के नकल अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत नही हुई। जिससे हाल व गत आराजी नम्बरो का मिलान हो सके। दोराने अपील प्रार्थना आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के अन्तर्गत प्रस्तुत जमाबन्दी आधार वर्ष की नही होकर संवत् 2011-2014 की है। जिसमे खसरा नम्बर 802 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा अपीलान्ट्गण वादीगण के दादा गणेशपुरी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नाम दर्ज नही रही है। अपीलान्टगण वादीगण व उनके पूर्वज उक्त कृषि आराजीयात के कभी भी खातेदार काश्तकार नही रहे है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया है। वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.12.2011 को पत्रावली मे अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की। उक्त तनकियात पर उभयपक्षो की साक्ष्य लिवाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए व उक्त कृषि आराजीयात मन्दिर मूर्ति के खातेदारी की होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र को निरस्त किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत होकर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध मोजा पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 801,802 व 795 जिसके नवीन आराजी नम्बर 1668 रकबा 1.04 हैक्टेयर कायम किये गये है। उक्त कृषि आराजीयात साबिक सेटलमेन्ट मे खसरा सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 मे गणेशपुरी पिता नारायणपुरी के खाते मे दर्ज रेकार्ड रही है। नवीन भू-प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर 1668 कायम की गई। जिसमे भी गणेशपुरी पिता नारायणपुरी गुसाई को खातेदार अंकित किया गया है। खसरा सेटलमेन्ट की कॉलम सं. 23 मे सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के आदेश का नोट अंकित कर मांगुपुरी पिता गणेशपुरी गुसाई को खातेदार के बजाय उप-कृषक अंकित किया गया। तुलछा माताजी स्थानदेह किला चित्तौड़गढ़ को खातेदार अंकित किया गया है। उक्त सभी दस्तावेज अपीलान्टगण वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत करते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से साबिक आराजी नम्बर 801,802 व 795 जिसके नवीन आराजी नम्बर 1668 रकबा 1.04 हैक्टेयर कायम हुए है कि घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादीगण की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार दिनांक 14.12.2011 को तनकियात कायम की गई। उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को शहादत सबुत के अभाव मे अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। अपील के दौरान अपीलान्टगण वादीगण के अपील के विचाराधीन रहते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के आवेदन के साथ जमाबन्दी संवत् 2011 से 2014 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, जो प्रकरण से सुसंगत होकर रेकार्ड पर ली जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह मानते हुए कि आधार वर्ष की जमाबन्दी पत्रावली मे प्रस्तुत नही हुई है, के आधार अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र शहादत सबूत के अभाव मे निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 237/2011 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2012 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे आवेदन आदेश 41 नियम 27 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति जो निर्णय के साथ भेजी जा रही है। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के आदेश दिनांक 09.03.1981 का पुनः परीक्षण कर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली मे कायम की गई तनकियात के अनुसार तनकीवार आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 23.01.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)